



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 500 राँची, गुरुवार,

24 अगस्त, 2023 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2023

संख्या-01/न्या.मा.-31/2021 न.वि.आ./4041-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P.(S) 3279/2021, अनिल कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक-25.01.2023 को दायर Rejoinder में उद्धृत बिन्दुओं के आलोक में विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना है।

2. संदर्भित वाद के याचिकाकर्ता श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता की सेवा के संबंध में निम्नांकित तथ्य विचारणीय है:-

(i) याचिकाकर्ता श्री अनिल कुमार मूल रूप से Bihar State Cooperation Marketing Union Ltd. (बिस्कोमान), पटना के सहायक अभियंता हैं, जिन्हें बिस्कोमान, पटना के जापांक-डी/35 दिनांक-05.07.1983 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था।

(ii) बिस्कोमान, पटना के जापांक-1864 दिनांक-21.09.1994 द्वारा दिनांक-21.09.1994 से श्री अनिल कुमार की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर तत्कालीन नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी।

साथ ही, बिस्कोमान, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1104 दिनांक-03.03.1997 द्वारा श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति की स्थिति में सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है।

- (iii) नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या-74 दिनांक-24.12.2001 के द्वारा श्री अनिल कुमार को राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आर.आर.डी.ए.), राँची में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी गयी। कालांतर में इन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित किया जाता रहा। श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता दिनांक-30.04.2017 को सहायक अभियंता, राँची नगर निगम के पद से सेवानिवृत्त हुए।
- (iv) प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, पटना की ओर से दिनांक-23.02.2012 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर, राँची में प्रकाशित की गयी नोटिस में श्री अनिल कुमार सहित आठ अन्य बिस्कोमान कर्मियों, जो विभिन्न विभाग/निगम/संस्थान में बिस्कोमान द्वारा प्रतिनियुक्त किये थे, उन्हें वापस बिस्कोमान, पटना में दिनांक-15.03.2012 तक योगदान दिये जाने का निर्देश दिया गया।

उक्त आलोक में श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता द्वारा दिनांक-31.03.2012 तक बिस्कोमान, पटना में योगदान समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप इनकी सेवा बिस्कोमान, पटना के आदेश ज्ञापांक-124 दिनांक-18.04.2012 द्वारा समाप्त कर दी गई।

- (v) नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-1070 दिनांक-28.01.2003 एवं अधिसूचना संख्या-866 दिनांक-20.05.2005 द्वारा श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता की सेवा उनके मूल विभाग-बिस्कोमान, पटना को वापस की गयी। इस संबंध में श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या-1526 दिनांक-23.07.2005 द्वारा श्री कुमार को बिस्कोमान, पटना में सेवा वापस किये जाने संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-866 दिनांक-20.05.2005 को स्थगित किया गया।

3. उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्री अनिल कुमार मूल रूप से बिस्कोमान पटना द्वारा नियुक्त हैं एवं इनका पैतृक विभाग बिस्कोमान, पटना है। श्री कुमार की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर तत्कालीन नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी। कालांतर में इन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित किया जाता रहा। श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता दिनांक-30.04.2017 को सहायक अभियंता, राँची नगर निगम के पद से सेवानिवृत्त हुए।

4. श्री अनिल कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राँची नगर निगम-सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध राँची नगर निगम द्वारा गठित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु राँची नगर निगम को निदेशित किया गया। राँची नगर निगम द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-577 दिनांक-17.02.2021 द्वारा श्री अनिल कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, राँची नगर निगम के विरुद्ध सरकारी नियमों के विपरीत कार्य करने एवं अनुशासहीनता से संबंधित गठित आरोपों एवं चलाये गये विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी.) के तहत पेंशन की अनुमान्यता राशि से 5% राशि की कटौती प्रतिमाह किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।
5. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा बिस्कोमान, बिहार, पटना से प्रतिनियुक्त कर्मी श्री अनिल कुमार के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड एवं याचिका संख्या-W.P.(S) 3279/2021, अनिल कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर तमरवपदकमत दिनांक-25.01.2023 में अंकित बिन्दुओं के आलोक में अग्रतर कार्रवाई हेतु विधि विभाग झारखण्ड, राँची के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त किया गया है, जिसमें विभागीय अधिसूचना संख्या-577 दिनांक-17.02.2021 को निरस्त किये जाने का परामर्श दिया गया है।
6. उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-577 दिनांक-17.02.2021 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर मराण्डी,
सरकार के अपर सचिव ।
